न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 01/2019

जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00025

अपीलाण्ट्स :—

1. संगीता पत्नी जिनेन्द्र, जाति जैन
2. सपना पत्नी मनीष जाति जैन निवासीगण 31, सोजतिया बास पाली, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—

1. जुगाराम पुत्र चुतराराम जाति मेघवाल निवासी 79 ए महाराणा प्रताप नगर, पाली
2. कबुडी उर्फ ककुडी बेवा गमनाराम
3. नारायणलाल पुत्र गमनाराम
4. मोहनलाल पुत्र गमनाराम
5. लक्ष्मण पुत्र गमनाराम
6. सोहनलाल पुत्र गमनाराम
7. जमनी पुत्री गमनाराम
8. गवरी पुत्री गमनाराम
9. नर्बदा पुत्री गमनाराम
10. हेमा पुत्री गमनाराम जातिगण सिरवी, सिरवी, निवासीगण सुन्दर नगर, होमगार्ड ट्रेनिंग सेण्टर के पास, सोजत रोड़ पाली
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाणा

रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 16.03.2026

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली के प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2019 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाणा व रेस्पो. संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित वक्त बहस उपस्थित। शेष रेस्पोडेण्ट्स को जारी सम्मन तामील होने के बावजूद न्यायालय समय में बार—बार आवाजे दिलाये जाने पर भी वक्त बहस असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि—विरूद्ध, अनुचित एवं मनमाने तौर से पारित किया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, विधि से परे जाकर एकतरफा पूर्व मनस्थिति बनाकर पारित किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के लिए यह आज्ञापक था कि वह मुकदमें में पहले अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्रों जिनका विस्तृत विवरण आगे दर्ज किया गया है, का निस्तारण करते तथा मुकदमे के तथ्यों, जवाब, साक्ष्य सबूत एवं संबंधित विधि का अनुशीलन एवं विवेचन कर सकारण प्रकरण का निर्णय करते परन्तु अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व मनस्थिति बनाकर केवल नोटिस देने की प्रक्रियात्मक औपचारिकता पूर्ण कर जैसा कैसा भी रेस्पो. संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया, भले ही रेस्पो. संख्या 01 ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये फिर भी उन्हें तो अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल निर्णय ही पारित करना है, यह मानकर तथा पूर्व मनस्थिति बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यों एवं विधि विरूद्ध होने से प्रथम—दृष्ट्या ही निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पो. संख्या 01 जो अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिये साक्ष्य देने हेतु witness box में आया ही नहीं। रेस्पो. संख्या 01 ने अपने प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य या मुख्य बयान का शपथ—पत्र तथा दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने मूल प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित नहीं किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

काबिले खारिज है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जैर अपील स्वीकार फरमावे तथा अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर व राजस्व कार्मिकों के एक दल के द्वारा की गई माप चौक परचा रिपॉर्ट के आधार पर ही पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अनुसार ही रेस्पोडेण्ट्स को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया है। अतः जैर अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दफा जाब्ता के आवेदन, अखंडित शपथ–पत्र एवं समायतशुदा बहस के आधार हम प्रार्थना–पत्र दफा 05 एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

समायतशुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एक समरी प्रोसीडिंग है जिसका मौलिक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा उठाये गये प्रमुख उज्रों में से उक्त प्रकरण में साक्ष्य इत्यादि नहीं लिये जाने के कारण तथा पर्चा मौका उभयपक्षों की उपस्थिति में नहीं करवाये जाने तथा आवेदन लम्बित रहते हुए प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के मुख्यतया आक्षेप लगाया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरे 2011(1) RRT 91, 2010(1) RRT 395, 1995(2) RBJ 429 प्रस्तुत की गई है उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा सिर्फ आवेदन व जवाब के आधार पर ही निर्णय पारित कियाा गया है जबकि इस प्रकरण में दिनांक 22.05.2018 को राजस्व कर्मी न सिर्फ पटवारी व तीन अन्य राजस्व कार्मिकों की एक टीम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा पाया गया है। इस साक्ष्य को नकारे जाने का कोई विधिक आधार नहीं है तथा जो अन्तरिम आवेदन दिया गया है उसकी भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में संक्षेप में फाईडिंग दी है। पर्चा मौके में उभयपक्षों की उपस्थिति का कोई तार्किक महत्व नहीं है, क्योंकि पर्चा मौका दिनांक 22.05.2018 को संबंधित राजस्व कार्मिक एवं तीन अन्य राजस्व अधिकारियों की एक टीम के द्वारा बार–बार किये गये निरीक्षण

के बाद तैयार की गई पर्चा मौका रिपोर्ट के आधार पर 183 (बी) की मूल भावना के अनुरूप ही निर्णय किया गया है।

जैर प्रकरण में सर्वाधिक महत्तवपूर्ण तथ्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.02.2019 की पालना में दिनांक 18.05.2019 को कानूनी कब्जा लेने की साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय में रिकॉर्ड उपलब्ध है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना भी काफी वर्षों पूर्व हो चुकी है। प्रकरण में इतने वर्षों के दौरान अपीलाण्ट द्वारा कभी अपनी भूमि की सीमा जानकारी अथवा पत्थरगढ़ी करवाकर विवादित भूमि उसके स्वामित्व की रही हो, ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है न ही कोई ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है जिससे उसका सत्यापन हो सके। अतएव 05 वर्षों पूर्व दिये गये कब्जे को जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय अनुसार विधिक स्वामित्वधारी को संभला दिया गया है, के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई प्रमाणन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि सिर्फ तकनीकी व छिछले आधार अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सक्षम राजस्व कार्मिकों एवं अधिकारियों की एक टीम द्वारा प्रस्तुत माप–चौक परचे के आधार पर किया गया निर्णय है।

लिहाजा सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके प्रकरण संख्या 01/2016 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 05.02.2019 में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि नहीं पाते है व अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील में उठाये गये समस्त उज्रात को बरूए नहीं पाते। परिणामस्वरूप अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **16.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली